

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

33

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4111-पीबीआर/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 13-10-2014 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण क्रमांक 75/अ-6-अ/2013-14.

महर्षि शिक्षा संस्थान द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि
श्री मनीष माण्डलिक आ० श्री सुभाषचन्द्र
निवासी महर्षि सेंटर फॉर एज्युकेशन एक्सलेंस,
लाम्बाखेड़ा बैरसिया रोड, भोपाल 48600

..... आवेदक

विरुद्ध

- 1-रामस्वरूप आ० अमरचन्द्र
 - 2-राकेश आ० अमरचन्द्र
 - 3-महेश आ० लखनलाल
 - 4-राजेंद्रप्रसाद आ० कैलाश
 - 5-देवकरण आ० बिहारीलाल
- सभी निवासी ग्राम बगरौदा तहसील हुजूर
जिला भोपाल

..... अनावेदकगण


श्री सतीश सिंह, अभिभाषक- आवेदक
श्री लोकेश भास्कर, अभिभाषक- अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4


:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/6/12 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 13-10-2014 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष संहिता की धारा 89 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र





प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बंगरसिया स्थित भूमि पुराना सर्वे नम्बर 120/2/1, 120/2/2 रकबा 5.00 एकड़, सर्वे नम्बर 120/2/3 रकबा 4.18 एकड़ एवं सर्वे नम्बर 119/1, 119/2/4, 120/2/4 रकबा 4.84 एकड़ विक्रय पत्रों से आवेदक के नाम दर्ज रही हैं। बन्दोबस्त के दौरान नये सर्वे नम्बर 210, 212, 213 रकबा 1.696, 1.930, 1.950 हेक्टेयर अंकित कर दिया गया। इस प्रकार आवेदक की भूमि में 1.50 एकड़ भूमि का अन्तर नक्शे में कम अंकित कर दिया गया है, अतः उक्त त्रुटि सुधार की जाये। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 75/अ-6-अ/13-14 दर्ज किया जाकर तहसीलदार को जॉच एवं प्रतिवेदन हेतु भेजा गया। तहसीलदार द्वारा जॉच उपरांत दिनांक 15-7-14 को प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13-10-14 को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि संहिता की धारा 24 के अन्तर्गत संहिता की धारा 89 के अधिकार उपखण्ड अधिकारी से तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किये गये हैं, अतः तहसीलदार विधिनुसार प्रकरण का निराकरण करें। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमियों में बन्दोबस्त के दौरान त्रुटि हुई इसलिये संहिता की धारा 107 लागू नहीं होने के कारण संहिता की धारा 89 लागू होगी। अतः प्रकरण के निराकरण के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी को दिये जाये और यदि तहसीलदार को अधिकार प्रदत्त कर दिये गये हैं तो तहसीलदार को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिये जाये।


4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्क में मुख्य रूप से केवल यही आधार लिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनावेदक गण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जा रहा है और उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमियों प्रभावित हो रही है। यह भी आधार लिया कि तहसीलदार द्वारा जॉच प्रतिवेदन तैयार करने में अनावेदक गण को न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई और न ही पक्ष समर्थन का अवसर दिया गया है।

022 P

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं, जिनके पालन में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर आदेश पारित किया जाना है। आवेदक की ओर से निगरानी का स्पष्ट आधार नहीं बतलाया जा सका है कि किन आधारों पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः यह निगरानी में स्पष्ट आधार नहीं होने से यह निगरानी अमान्य की जाती है।

7/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 4242-पीबीआर/2014(रामस्वरूप आत्मज श्री अमरचन्द्र निवासी ग्राम बगरोदा तहसील हुजूर जिला भोपाल तथा तीन अन्य/देवकरण आत्मज श्री बिहारीलाल निवासी ग्राम बगरोदा तहसील हुजूर जिला भोपाल एवं एक अन्य) पर भी लागू होगा। अतः इस आदेश की एक मूल प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में संलग्न की जाये।




(मनोज गायल)

अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर